न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

कैम्प भभाणा

पीठासीन अधिकारी – रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 164 / 17 रा0वाद

अनवान

1–श्रीमति सुन्दर देवी पत्नि स्व.श्री परसराम लुहार निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा।

––वादी।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर सा0 भीलवाडा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण।

उपस्थित :–

1–विपल बापना — अधिवक्ता वादी

2–पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89,91एवं 188–92(क) रा0का0 अधिनियम
घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 26.06.2018

प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89,91 एवं 188–92 (क) रा0का0 अधिनियम घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। उक्त प्रकरण पूर्व मे उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में पेश हुआ परन्तु यह न्यायालय अस्तित्व में आने के कारण तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रकरण हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को उजरदारी पेश करने हेतु पूर्व न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाकर–सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

प्रकरण में जवाब प्रतिवादीगण प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर लिये गये है। अतः इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–" आया वादीया ग्राम ज्ञानगढ की आ0नं0 1334 में वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित पडौसो के मध्य 1.10 बीघा भूमि पर सन् 1992 से निरन्तर काबिल होने से खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी है ? –ब–जिम्मे–वादीया।

इस प्रकार प्रकरण में केवल मात्र 01 तनकीयात कायम की जाकर जिसको सिद्ध कराने का दायित्व न्यायालय द्वारा वादीया के जिम्मे रखा गया। उक्त तनकी का प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब–दावा के अनुसार निम्नानुसार विश्लेषण किया जाकर निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है:–

तनकीयात सं0 1:–

आज दिनांक 26.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2018 केम्प भभाणा पर मिसल प्रस्तुत की गई। तनकीयात सं. 01 के समर्थन में वादीया द्वारा वादपत्र के चरण सं.1 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम ज्ञानगढ मे आ0सं0 1334 रकबा 1.10 बीघा के अनुसार चरण सं. 1 में अंकन अनुसार पडौसो के मध्य स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त 1.10बीघा भूमि के चारोतरफ वादीया ने पत्थरो की कच्ची दीवार बना रखी है तथा इसके कब्जे काश्त में काफी धन व श्रम खर्च किया है। परिवार के भरण पोषण व आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है। वादीया गरीब परिवार होकर भूमिहीन काश्तकार है। वादीया का एकमात्र जवान पुत्र सडक दुघर्टना मे आकस्मिक निधन हो जाने से अन्य कोई कमाने वाला व्यक्ति नही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का 1992 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे उक्त बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड भूमि का वादीया का

उप खण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने हेतु न्यायालय से मांग की गई।

इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त 1.10 बीघा भूमि रेकार्ड में बिलानाम आबादी हेतु आरक्षित दर्ज होना अंकित किया गया। जहां तक वादीया का वादग्रस्त भूमि पर सन् 1992 से कब्जा काश्त होने का कथन प्रस्तुत किया गया है उस संबध मे राज्य सरकार द्वारा खण्डन प्रस्तुत नही किया गया है। राज्य पक्ष द्वारा काश्त होने संबधी प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध न होने से इसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित दर्ज रेकार्ड है। इसी कारण राज्य पक्ष द्वारा वादीया के पक्ष में नियमन किये जाने का विरोध किया गया। तथा सेट ए–अपार्ट दर्ज भूमि के विरूद्ध वादीया के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित नही फरमाने का भी निवेदन किया गया। इस प्रकार राज्य पक्ष द्वारा वादीया का वाद पत्र खारिज किये जाने की मांग की जाकर कोई अनुतोष देय नही होना जवाबदावे में अंकित किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र,वादपत्र की ताईद प्रस्तुत शपथपत्र एवं समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अतिरिक्त वादीया पक्ष द्वारा प्रकरण मे तहसीलदार करेडा का पत्रांक 152 दिनाक 08.02.2013 एवं मौका पर्चा दिनांक 19.01.13 तथा ग्राम पंचायत ज्ञानगढ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.13 एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि का सावधानीपूर्वक अध्ययन एव परीक्षण किया।

प्रकरण का मूल सार इस प्रकार है कि वादीया द्वारा मौजा ज्ञानगढ की वादग्रस्त 1.10 बीघा जिस पर वादीया द्वारा 1992 से कब्जा होना जाहिर किया वह वास्तव में बिलानाम सरकार दर्ज होकर सेट ए–अपार्ट भूमि है। वादीया द्वारा पंचायत के प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो प्रतियां पेश की गई है उसके अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त सेट ए–अपार्ट भूमि वादीया के पक्ष में पुनः डी–सेट–ए–अपार्ट सक्षम अधिकारी से की जाकर पुनः बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कराते हुये वादीया के पक्ष में नियमन की ग्राम पंचायत ज्ञानगढ द्वारा की गई।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही पृथक से प्रशासनिक स्तर पर की जाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात् ही नियमन संबंधी कार्यवाही अमल मे लाये जाने का प्रावधान है। न्यायालय का यह दायित्व नही है कि सेट–ए–अपार्ट भूमि को डी–सेट–ए–अपार्ट करवाई जाकर मुताबिक वाद पत्र उक्त प्रकिया अमल में लाई जावे। इस हेतु वादीया पृथक से अपने पक्ष मे कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

इस न्यायालय में वादीया द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा–88, 89, 91 एवं 188–92 (क) रा0का0 अधिनियम घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उपरोक्त धाराओ के अंतर्गत वादीया को किसी भी प्रकार का अनुतोष जो वादीया द्वारा चाहा गया है वह प्रदान किये जाने योग्य नही होने से एवं तनकी सं. 01 को वादीया सिद्ध कराने मे विफल रहने से तनकीयात का निर्णय वादीया के विरूद्ध किया जाता है।

इस प्रकार मामले में समग्र विवेचन करने के पश्चात् तथा कायम तनकीयात को वादीया सिद्ध कराने में विफल रहने के कारण वादीया का वाद पत्र इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाकर खारीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

:: आदेश ::

चूँकि वादीया वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः ग्राम ज्ञानगढ तहसील करेड़ा स्थित आ0स0 1334 वादग्रस्त रकबा 1.10 बीघा के संबंध में कोई अनुतोष देय नही है। तदनुसार डिक्री कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार करेडा को लिखा जावे। फरीकेन खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

1–श्रीमति सुन्दर देवी पत्नि स्व.श्री परसराम लुहार निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

––वादी।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर सा0 भीलवाडा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91एवं 188–92(क) मुकदमा नं. 164/17 निर्णय दिनांक 26.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री विपुल बापना मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलानिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91एवं 188–92(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार किया जाने वादीया को कोई अनुतोष देय नही है बावत डिक्री प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 26.06.2018 को डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा

Scanned by CamScanner